उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–9

संख्या–720 /2023/XXVII(9)/स्टाम्प–42/2008

देहरादूनः दिनांकः 25 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 74 और धारा 75 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्रों के माध्यम से शुल्क का सदाय) नियमावली, 2011 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं; अर्थात्:–

उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षित नाम उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2023 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) नियमावली, 2011 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (झ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा;अर्थात्–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(झ)– "ई–स्टाम्प" से स्टाम्प शुल्क की देयता का अंकन करने के लिए कागज पर इलेक्ट्रानिक रूप से जनित चिन्ह अभिप्रेत है।	(झ)–"ई–स्टाम्प" से स्टाम्प शुल्क की देयता का अंकन करने के लिए कागज पर इलेक्ट्रानिक रूप से जनित चिन्ह अभिप्रेत है और इसमें डिमैटरियलाइज्ड प्रारूप में डिजिटल ई–स्टाम्प सम्मिलित है।

नियम 25 का संशोधन 3. मूल नियमावली के नियम, 25 के उपनियम (3)के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(4) जहां डिजिटल ई–स्टाम्प जारी किया जाना है, वहां, यह, केंद्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा, आवेदक को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप

में एवं रीति से जारी एवं पारेषित किया जायेगा।"

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 24-04-2023 19:09:56
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या-720 (1)/ XXVII(9)/स्टाम्प-42/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त कुमायूँ/गढ़वाल,उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशनोंपरान्त 100-100 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।

In Pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.720/2023/ XXVII(9)/ Stamp-42/2008, Dehradun:: dated April, 2023 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-9
No. 720/2023/XXVII(9)/Stamp-42/2008
Dehradun: dated: 24 April, 2023

Notification

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by Section 74 and Section 75 of the Indian Stamp Act, 1899, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Stamp (Payment of Duty by Means of e-stamp Certificates) Rules, 2011.

THE UTTARAKHAND STAMP (PAYMENT OF DUTY BY MEANS OF e-STAMP CERTIFICATES) (AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and Commencement — 1 — (1) The Uttarakhand Stamp (Payment of Duty By Means of e-Stamp Certificates) (Amendment) Rules, 2023.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Rule 2 — 2 — In the Uttarakhand Stamp (Payment of Duty by Means of e-stamp Certificates) Rules, 2011 (hereinafter referred to as principal rules), the existing clause (i) of subrule(1) of rule 2 as set out in column 1 below, the rule set out in column-2, shall be substituted as follows, namely:-

Column-I	Column-II
Existing rule	**rule as hereby substituted**
(i)-"e-Stamp" means an electronically generated impression on paper to denote the payment of Stamp duty.	(i)-"e-Stamp" means an electronically generated impression on paper to denote the payment of Stamp duty and includes digital E-Stamp in a dematerialised format.

Amendment of Rule 25 — 3. — In the principal rule, After sub-rule (3) of rule 25 the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(4) Where digital e-Stamp is to be issued it shall be issued and transmitted to the applicant by Central Record Keeping Agency (CRA) in the format and manner prescribed by the Appointing Authority."

By order,

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 24-04-2023 12:30:39

क्रम संख्या–11 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 23 फरवरी, 2023 ई0

फाल्गुन 04, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 49/XXXVI (3)/2023/63(1)/2022

देहरादून, 23 फरवरी, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2022' पर दिनांक 21 फरवरी, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 02, वर्ष–2023 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2023)

उत्तराखण्ड राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है:-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 18 का संशोधन

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ख में अनुच्छेद 18 (विक्रय प्रमाणपत्र) में "उचित स्टाम्प-शुल्क" से सम्बन्धित स्तम्भ में विद्यमान प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान रख दिया जायेगा, अर्थात:-

"वही शुल्क जो केवल क्रय-धन की राशि के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तान्तरण पत्र (संख्या 23 खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) जैसी भी स्थिति हो}पर लगता है।"

आज्ञा से,

शमशेर अली,

कारण एवं उद्देश्य

चल सम्पत्ति की नीलामी द्वारा विक्रय सम्बन्धी लिखतों तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 2(10) "हस्तान्तरण–पत्र" के अन्तर्गत उल्लिखित चल सम्पत्ति के विक्रय सम्बन्धी लिखतों पर एक समान शुल्क प्रभार्य किये जाने हेतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

2– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
मंत्री।

No. 49/XXXVI(3)/2023/63(1)/2022
Dated Dehradun, February 23, 2023

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Indian Stamp (Uttarakhand Amendment) Act, 2022 (Act No. 02 of 2023)'**.

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 21 February, 2023.

THE INDIAN STAMP (UTTARAKHAND AMENDMENT) Act, 2022

(Uttarakhand Act No. 02 of 2023)

An

Act

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to the State of Uttarakhand.

IT IS HEREBY enacted by the Uttarakhand State legislature in the seventy third year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement

1. **(1)** This Act may be called the Indian Stamp (Uttarakhand Amendment) Act, 2022.

(2) It shall extend to the whole of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of Article 18

2. In the schedule 1-B, to the Indian stamp act, 1899 in Article 18 (certificate of sale), in the column relating to the "proper stamp duty", for the existing provision following provision shall be inserted, namely:-

"The same duty as a conveyance {No. 23 clause (a) or clause(b); as the case may be}, for a consideration equal to the amount of the purchase money only."

By Order,

SHAMSHER ALI,
Additional Secretary.

Statement of Objects and Reason

For imposing same fees on instrument related to sale of movable property by auction and instruments related to sale of movable property mentioned under conveyance section 2(10) of The Indian Stamp Act,1899, amendment in The Indian Stamp Act,1899 is necessary.

2- The proposed bill fulfills the aforesaid objectives.

Prem Chand Aggarwal
Minister

उत्तराखण्ड, शासन

वित्त अनुभाग–9

संख्या 550/2022/XXVII(9)/स्टाम्प–48/2008

देहरादूनः दिनांक 27 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2, 1899) (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना संख्या 341(1)/XXVII(9)/2013/स्टाम्प–48/2008 दिनांक 23 जुलाई, 2013 का अधिक्रमण करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से अनुसूची 1बी के अनुच्छेद 23 खण्ड (क) के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों के पक्ष में रूपये 25 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) तक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत (25%) की छूट किसी भी निःशक्त व्यक्ति को उसके जीवनकाल में अधिकतम 02 बार अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। निःशक्तता से क्रमशः (1) अन्धता (दृष्टि बाधित) (2) कम दृष्टि (3) कुष्ठरोगमुक्त (4) श्रवण शक्ति का ह्रास (श्रवण बाधित) (5) चलन निःशक्तता (6) मानसिक मंदता (7) मानसिक रूग्णता अभिप्रेत है।

2– परन्तु यदि किसी लिखत के सम्बन्ध में किसी निःशक्त व्यक्ति के पक्ष में अन्तरण विलेख का मूल्य पच्चीस लाख रूपये से अधिक निर्धारित किया जाता है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क की गणना में पच्चीस लाख रूपये मूल्य तक स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पच्चीस लाख रूपये से अधिक मूल्य पर स्टाम्प शुल्क की गणना, पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार प्रभार्य होगी तथा यह भी कि निःशक्त व्यक्तियों के पक्ष में इस अधिसूचना के द्वारा प्रदान की जा रही छूट के साथ किसी दूसरी अधिसूचित स्टाम्प छूट का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरणः– निःशक्त व्यक्तियों से तात्पर्य प्रचलित यथाविधि अनुसार यथापरिभाषित से है।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 26-12-2022 15:36:21

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः– 550 /2022/XXVII(9)/स्टाम्प–48/2008, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. - समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. - समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. - महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. - समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड।
5. - समस्त जिला निबंधक, उत्तराखण्ड।

6. - उप–निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200–200 प्रतियां वित्त अनुभाग–9 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
7. - न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. - एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Devendra Paliwal
Date: 26-12-2022 16:18:40

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. /2022/XXVII(9)/Stamp-48/2008, Dehradun: dated December, 2022 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section -9
No- 550 /2022/XXVII(9)/ Stamp-48/2008
Dehradun: dated: 27 December, 2022

Notification

In exercise of the power conferred by clause (a) of sub-Section(1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act 2 of 1899) (as amended from time to time) and in supersession of Notification No. 341(1)/XXVII(9)/2013/Stamp-48/2008 dated 23 July 2013, the Governor is pleased to reduce, the Stamp duty upto twenty five percent (25%) in respect of transfer of immovable property for a value of rupees Twenty Five Lakhs in favour of disabled persons, maximum twice in his/her lifetime with effect from the date of publication of this notification in the Gazette. Disability means, (1) Blindness (2) Partly blindness (3) Free from leprosy (4) Deafness (5) Walking disability (6) Mental disability (7) Mental disease respectively

2- Provided if transfer deed in favour of a disabled person is valued more than twenty five lakh rupees, the stamp duty upto twenty five lakh rupees shall be calculated on the twenty five percent reduced value and the stamp duty on higher than Rupees twenty five lakh will be chargeble at the previous prevailing rates and also that the benefit of any other notified stamp exemption shall not be extended in favour of persons with disabilities in addition to the exemption provided by this notification.

Explanation:- Persons with disabilities means persons with disabilities as defined in accordance with the prevailing law.

By Order,
Signed by Dilip Jawalkar
Date: 26-12-2022 15:37:04
Secretary.

संख्या 145 /2020/XXVII(9)/स्टाम्प–22/2011

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–9 देहरादूनः दिनांक 28 जुलाई, 2020

विषयः– **अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण किये जाने वाले विलेखों का रजिस्ट्रीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–69/XXVII (9)/स्टाम्प–54/2010 दिनांक 08.08.2017 एवं संख्या–203/XXVII(9)/स्टाम्प–54/2010 दिनांक 12.06.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। शासन के संज्ञान में आया है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा–17 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण किये जाने वाले विलेखों का रजिस्ट्रीकरण करने तथा निम्न कार्यो हेतु प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की वसूली के लिये स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों में सम्पर्क करने पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित सचिव/विभागाध्यक्ष का निर्देश प्राप्त न होने का उल्लेख करते हुये स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के अधिकारियों को अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है। निम्नवत् कुछ विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियों में राजस्व संग्रहण का ध्यान रखा गया है या नही, कोई जानकारी नहीं दी जा रही हैः–

(क) विभिन्न विभागों/संस्थानों द्वारा निर्मित दुकानों/भवनों आदि के विक्रय/लीज–ठेकों/अनुबन्ध के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराते हैं, लेकिन किसी प्रकार के विलेख को निष्पादित नहीं कराया जाता है कतिपय मामलों में लेखपत्र निष्पादित किये जाते है, लेकिन उनका रजिस्ट्रीकरण निबन्धन विभाग के कार्यालयों में नहीं कराया जाता है।

(ख) विभिन्न प्रकार के ठेके (तहबाजारी, नुमाईश, खनन बाजार आदि के नीलामी पर्किंग के ठेके) उक्त ठेके के पत्रों में स्टाम्प शुल्क अदा नहीं किया जाता।

(ग) विभिन्न प्रकार के कार्यावंटन शपथ पत्र, समझौता पत्र, अनुबन्ध पत्र, सहमति पत्र, बैंक गारन्टी किरायानामा (लीज), निर्मुक्ति पत्र (रिलीज डीड) इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की औपचारिकतायें तथा कार्यवाहियां जिसमें उपयुक्त मूल्य का स्टाम्प प्रयुक्त होना चाहिए।

राजस्व संग्रहण के प्रति जागरूकता का अभाव नियमों की जानकारी न होना आदि कारणों से या तो स्टाम्प का प्रयोग ही नहीं किया जा रहा है या फिर प्रभार्य मूल्य के स्टाम्प का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे राजस्व की हानि के साथ ही प्रभावित/ लाभान्वित पक्ष के विधिक अधिकार भी असुरक्षित होंगे।

उपरोक्त कार्यो में नियमानुसार समस्त विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क अदा होने तथा यथाविधि पंजीकृत होने के पश्चात् ही साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना विधिनुरूप है। निर्धारित प्रकियानुसार तैयार विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क अदा होने पर ही प्रभावित/ लाभान्वित पक्ष की विधिक अधिकार सुरक्षित है तथा संबंधित विभागों को भी अनावश्यक विवादों से सुरक्षा रहेगी।

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा–17 एवं 49 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा–33 एवं 35 उक्त से स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान बहुत व्यापक है तथा इसकी स्पष्ट व्यवस्था है।

उपरोक्त के आलोक में स्टाम्प शुल्क के माध्यम से राज्य हित में राजस्व संग्रहण में वृद्धि व सम्बन्धित विभागों को अनावश्यक विवादों से सुरक्षा हेतु शासनादेशों की छायाप्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करे, कि शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु तत्काल अपने जिले के सहायक महानिरीक्षक निबन्धन या महानिरीक्षक निबन्धन मुख्यालय से संपर्क स्थापित कर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का निर्धारण कराकर सूचना प्रत्येक माह महानिरीक्षक निबन्धन एवं सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें तथा निरीक्षण के समय स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के अधिकारियों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण किये जाने वाले विलेखों का रजिस्ट्रीकरण कराने व प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की वसूली में सहायोग प्रदान करने के लिये अपने–अपने विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। भविष्य में यदि असहयोग की स्थिति दृष्टिगोचर होती है तो उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

संलग्नक–<u>यथोक्त।</u>

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या ______ (1)/2020/XXVII(9)/स्टाम्प–22/2011 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि: 1. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि अपने जिले के सभी विभागों को नोटिस जारी कर सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण सुनिश्चित करे तथा प्रभार्य स्टाम्प शुल्क अदा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित कराये। असहयोग की स्थिति में शासन को सूचित करें।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड, शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या /2020/XXVII(9)/स्टाम्प–82/2009
देहरादून : दिनांक 22 जून, 2020

अधिसूचना

राज्यपाल, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा 78 एवं धारा 79 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या एस0आर0 976/दस–550 (51)–76 दिनांक 31 मार्च 1976, (परिशिष्ट सात) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) एवं समय–समय पर यथासंशोधित रजिस्ट्रीकरण फीस सारणी में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात्:–

2. अधिसूचना संख्या एस0आर0 976/दस–550 (51)–76 दिनांक 31 मार्च 1976 (जिसे इसे इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) की रजिस्ट्रीकरण फीस सारिणी में अनुच्छेद 2 के स्पष्टीकरण (1) एवं (2) को विलोपित करते हुये, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अनुच्छेद 2 के खण्ड (क) तथा (ख) एवं स्पष्टीकरण (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये अनुच्छेद/स्पष्टीकरण रख दिये जायेगें, अर्थात्:–

स्तम्भ–1			स्तम्भ–2		
विद्यमान अनुच्छेद–2			एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुच्छेद–2		
अनुच्छेद 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये फीस के अतिरिक्त :–			अनुच्छेद 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये फीस के अतिरिक्त :–		
(क)	पुस्तिका 1, 3 या 4 में किसी दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनाने के लिये (यदि प्रतिलिपि बनाना हो)	प्रति 500 शब्द या उसके भाग के लिये 5.00 रु0 किन्तु प्रत्येक दस्तावेज के लिये न्यूनतम 10.00 रुपया	(क)	पुस्तिका 1,3 या 4 में किसी दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनाने के लिये (यदि प्रतिलिपि बनाना हो)	रुपये 2/– प्रति पृष्ठ, किन्तु प्रत्येक दस्तावेज के लिये न्यूनतम रुपये 100/–
(ख)	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 18क के अधीन मूल के साथ किये गये किसी दस्तावेज की प्रति के मिलान के लिये उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन मैनुअल भाग–2 के नियम 362 में निर्दिष्ट दस्तावेजों की, जो मूल सहित पेश किये गये हों, द्वितीय प्रतियों के मिलान के लिये	प्रति 500 शब्द या उसके भाग के लिये 5.00 रु0 किन्तु प्रत्येक दस्तावेज के लिये न्यूनतम 10.00 रुपया	(ख)	रजिस्ट्रेशन मैनुअल भाग–2 के नियम 362 में निर्दिष्ट दस्तावेजों की, जो मूल सहित पेश किये गये हों, द्वितीय प्रतियों के मिलान के लिये	रुपये 2/– प्रति पृष्ठ, किन्तु प्रत्येक दस्तावेज के लिये न्यूनतम रुपये 100/–
स्पष्टीकरण			स्पष्टीकरण		
(3)	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 65 और 66 के अधीन दूसरे कार्यालय को भेजने		(3)	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 65 और 66 के अधीन दूसरे	

के लिये दस्तावेजों की बनायी गयी समस्त प्रतियों पर भी पूर्ववर्ती मानक्रम के अनुसार फीस ली जायेंगी, इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 64, 65, 66 और 67 के अधीन तैयार किये गये प्रत्येक ज्ञापन के सम्बन्ध में दो रूपये की निर्धारित फीस ली जायेगी।		कार्यालय को भेजने के लिये दस्तावेजों की बनायी गयी समस्त प्रतियों पर भी एवं इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 64, 65, 66 और 67 के अधीन तैयार किये गये प्रत्येक ज्ञापन के सम्बन्ध में रुपये 2/– प्रति पृष्ठ, परन्तु न्यूनतम रुपये 100/– की निर्धारित फीस ली जायेगी।

3. उक्त अधिसूचना की रजिस्ट्रीकरण फीस सारिणी में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अनुच्छेद 13 की टिप्पणी (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी टिप्पणी रख दी जायेगी अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान टिप्पणी	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित टिप्पणी
(2) यदि कोई आवेदन जिसने नियम (1) के अनुसार फीस का भुगतान कर दिया है, ऐसी प्रति आवेदन पत्र के दिनांक को दिये जाने की अपेक्षा करे या वह ऐसे आवेदन पत्र के दिनांक को प्रस्तुत किये गये टिप्पणी (1) के अधीन अविलम्बनीय प्रतियों के लिये दस्तावेजों और आवेदन पत्रों के ऊपर अग्रता की मांग करे उससे ऐसी प्रति के लिये टिप्पणी (1) के अधीन दी गई फीस के अतिरिक्त 4 रूपये या यदि प्रति में शब्दों की संख्या 1200 शब्दों से अधिक हो तो प्रत्येक 300 शब्द या उसके भाग के लिये 1 रूपये की निर्धारित फीस ली जायेंगी। ऐसी फीस का भुगतान किये जाने पर भी ऐसी प्रति, जिसमें 3600 शब्द प्रति कार्य दिवस के हिसाब से प्राप्त हों।	(2) यदि कोई आवेदक जिसने नियम (1) के अनुसार फीस का भुगतान कर दिया है, ऐसी प्रति आवेदन पत्र के दिनांक को दिये जाने की अपेक्षा करें तो फीस अनुच्छेद 2 में विहित फीस की दर की तीन गुनी होगी।

4. उक्त अधिसूचना के उपबंध इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक के आगामी दिन से प्रभावी होगें।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या–121 (1)/2020/ XXVII(9)/स्टाम्प–82/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, विधायी, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. [illegible]

5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशनोंपरान्त 100–100 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 121/2020/XXVII(9)/Stamp/82/2009, dated 22 June, 2020 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-9
No/121/2020/XXVII(9)/ Stamp/82/2009,
Dehradun: dated: 22 June, 2020

Notification

In exercise of the powers conferred by Section 78 and Section 79 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16, 1908), the Governor is pleased to make following amendment in previously issued notification No. SR 976 / Ten-550 (51) -76 dated 31 March 1976, (Appendix Seven) (as applicable in the State of Uttarakhand) and to the registration fee table as amended from time to time, namely: -

2. Omitting the Explanation (1) and (2) Article 2 in the Registration Fee Table of the Notification No. SR 976 / Ten-550 (51) -76 dated 31 March 1976 (hereinafter referred to as the said notification), clause (a) and (b) and Explanation (3) of Article 2 as set out in column-1 shall be subsituted by the Article/Explanations as set out in column 2, namely: -

Column-1			**Column-2**		
Existing Article-2			Hereby substituted Article-2		
In addition to the fees for registration under Article 1: -			In addition to the fees for registration under Article 1: -		
(A)	To make copy of any documents in booklet 1, 3 or 4 (if it is to be copied)	Rs.5.00 per 500 words or part thereof but minimum Rs.10.00 for each document	(A)	To make copy of any documents in booklet 1,3 or 4 (if it is to be copied)	Rs 2 / - per page, but minimum Rs 100 / - for each document
(B)	Under Section 18-A of the Registration Act 1908, for matching the copy of any document made with the original, the documents	Rs.5.00 per 500 words or part thereof but minimum Rs.10.00 for	(B)	For matching the second copies of the documents specified in Rule 362 of the	Rs 2 / - per page, but minimum Rs 100 / - for each document

	specified in Rule 362 of Uttar Pradesh Registration Manual Part-2, which are presented with the original, for the match of second copies.	each document		Registration Manual Part-2, which are presented along with the original.	
	The explanation			**The explanation**	
(3)	Under Section 65 and 66 of the Registration Act 1908, fees will be charged on all copies of documents made for sending to another office as per the preceding norms, in addition to those prepared under sections 64, 65, 66 and 67 of the said Act. A fixed fee of two rupees will be charged in relation to each memorandum.		(3)	On all copies made of documents for sending to another office under Sections 65 and 66 of the Registration Act 1908 and in addition to each memorandum prepared under Sections 64, 65, 66 and 67 of the said Act, Rs.2 / - per page, but the minimum fixed fee of Rs 100 / - shall be charged.	

[illegible]. In the registration fee table of the said notification, the comment set out in column-2 shall be substituted by the comment of the existing Article 13 set out in column-1 below, namely:-

Column-1	**Column-2**
Existing comment	Hereby substituted comment
(2) If any application which has paid the fees as per rule (1), expect such copy to be given on the date of the application or for indelible copies under comment (1) submitted on the date of such application in addition to the fees paid under comment (1) for such a copy, fee of Rs 4 or if the numbers of words are more than 1200 words than for every 300 words or part thereof, quick fees of Rs 1 will be charged. Even on payment of such fees, such copy, in which 3600 words are received per working day.	(2) If any applicant who has paid the fees as per rule (1), expects such copy to be given on the date of application, then the fee shall be three times the rate of fees prescribed in Article 2.

4 The provisions of the said notification shall come into effect from the next day of issuance of the notification.

(Amit Singh Negi)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– /2021/XXVII(9)/यू0ओ0–09/स्टाम्प/2020
देहरादूनः दिनांकः ~~— अप्रैल, 2021~~ 21 मई, 2021

अधिसूचना/आदेश

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पी0एम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों/वेन्डरों को स्वीकृत किये जाने वाले लोन की राशि रू0 10,000/–तक के ऋण की स्वीकृति हेतु निष्पादित विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी समाप्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(सौजन्या)
सचिव।

संख्या– 188 (1)/2021/XXVII(9)/यू0ओ0–09/स्टाम्प/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव/सचिव शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल।
4. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
6. समस्त सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड ।
7. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग–4 खण्ड(ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 100 प्रतियां वित्त अनुभाग–9 में उपलब्ध करा दें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।